International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

आत्महत्या का प्रयास

वर्षा खस[1], डॉ. रीना रानी जाट[2]

[1]शोधार्थी एल.एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर (मार्गदर्षक) माधव विधि महाविद्यालय

सारः

आत्महत्या का कार्य जीवन के लिए संकट कार्य है, जब मनुष्य चारों ओर से टूट जाता है तब उसके मन में जीने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है तब उसके द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाया जाता है।

भारत में आत्महत्या की दर में पिछले दशकों से वृद्धि हुई है, हालांकि आत्महत्या की दरों में वृद्धि और गिरावट दोनों की प्रवृत्तियाँ मौजूद रही है। भारत में वैवाहिक स्थिति आवश्यक रूप से सुरक्षात्मक नहीं है और आत्महत्या की दर में महिला : पुरूष अनुपात अधिक है।

आत्महत्या के उद्देश्य और तरीके भी पश्चिमी देशों से भिन्न है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि आत्मघाती व्यवहार अधिकारिक तौर पर रिपोर्ट की तुलना में कहीं अधिक प्रचलित है। जहर देना, फाँसी देना और आत्मदाह आत्महत्या करने के तरीके है।

कीवर्डः आत्महत्या का प्रयास, भारत डिक्रिमिनलाइजेशन (वैधीकरण)।

परिचयः

एक सवाल जो हर व्यक्ति के मन में आता है कि ''क्या कोई जान ले सकता है?'' आत्महत्या आत्म–विनाश और खुद की जान लेने का एक कार्य है। हम सभी जानते है कि ऐसा करने की अनुमति नहीं है और इसे नैतिक रूप से नीचा देखा जाता है लेकिन क्या कानूनी रूप से इसकी अनुमति है? क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है?

अपने आप के जीवन को समाप्त करने की अवधारणा (कंसेप्ट) हमेशा एक बहस का मुद्दा रही है। यह लेख आत्महत्या करने के प्रयास से संबंधित कनून के विकास का एक ठोस सार (जिस्ट) प्रदान करता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है और अनुसरण में कोई कार्य करता है अर्थात अपराध करने के लिए इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह मूल्यवान मानव जीवन की समयपूर्व या अप्राकृतिक (अननेचुरल) मृत्यु का अपराध है। इस धारा के तहत अभियुक्त आत्महत्या करने का प्रयत्न करे और उस अपराध के लिए कोई कार्य करे। ''भारतीय दण्ड संहिता 1860 में यह एक अकेली ऐसी धारा है जिसमें अभियुक्त को तभी दण्डित किया जा सकता है जब वह अपराध करने में विफल हो।''

जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। यह एक अपराध है। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। यह एह जमानतीय अपराध है जिसमें आवश्यक कागजात जमा करने पर जमानत दी जा सकती है, और एकअशमनीय अपराध है, जिसमें पार्टियों के बीच मामला सुलझाया या समझौता नहीं किया जा सकता है।

इस धारा के मुख्य अवयव (इंग्रेडिएट्स) हैः–

1. सबसे पहले, व्यक्ति आत्महत्या करने में असफल रहा हो क्योंकि यदि वह इस कार्य में सफल हो जाता है तो कोई भी अपराधी नहीं होता है।

2. दूसरा प्रयास जानबूझकर होना चाहिए। यह गलती या दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जीवन को आत्म–विनाश करने का इरादा स्पष्ट होना चाहिए।

इस धारा का मुख्य उद्देश्य भारत में आत्महत्या के मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक निवारक प्रभाव डालना था। अपने नागरिकों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना स्टेट का कर्तव्य (ड्यूटी) है।

पिछले वर्षों में आत्महत्या के प्रयास की रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि दिखाई दी है, यह साबित करता है कि स्पष्ट रूप से, यह धारा अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफलत रही है। ऐसे मामले जिनके कारण डिक्रिमिनलाइजेशन (वैधीकरण) हुआः–

वर्ष और घटनाओं की सूची जिसके कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 को अपराध मुक्त किया गया है।

वर्ष	घटना
1970–71	42वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आत्महत्या के प्रयास के अपराध को हटाने का सुझाव दिया गया है।
1985	स्टेट बनाम संजय कुमार भाटिया के मामले में दिल्ली हाईकोट ने धारा 309 को ''मानव समाज के अयोग्य (अनवर्थी)'' करार दिया था।
1987	बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट बनाम मारूति सतपति दुबल के मामले में धारा 309 को संविधान के अल्ट्रा वायर्स के रूप में माना क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।
1988	आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट ने चेन्ना जगदेश्वर बनाम आन्ध्रप्रदेश स्टेट के मामले में धारा 309 की संवैधानिकता को बरकरार रखा और कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।
1994	पी. रथिनम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट के विचार को बरकरार रखा और धारा 309 को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
1996	श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब स्टेट में सुप्रीम कोर्ट (5 न्यायाधीशों की बेंच) ने फिर से धारा 309 को संवैधानिक ठहराया और इस तरह पी. रथीनम के फैसले को खारिज कर दिया था।
1997	156वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आई.पी.सी. की धारा 309 को बनाए रखने का समर्थन किया गया था।

मामलों की ओर बढ़ने से पहले, यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है। यह सभी मनुष्यों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों सहित सभी लोगों पर लागू होता है। एक प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है, संशोधित (मोडिफाई) किया गया है और विभिन्न हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में बहस की गई है, क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है?

उपर्युक्त प्रश्न और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 की संवैधानिकता का निर्णय निम्नलिखित मामलों में किया गया है–

1. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेट बनाम संजय कुमार भाटिया के मामले में आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को बरी कर दिया था। कोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया कि आई.पी.सी. की धारा 309 को कानून से हटा दिया जाना चाहिए यानी इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे 'समाज के अयोग्य' करार दिया था।

2. महाराष्ट्र स्टेट बनाम मारूति सतपति दुबल के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार जीवन के अधिकार के दायरे में मरने के अधिकार को शामिल करने के सवाल पर विचार किया था। कोर्ट ने पाया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति के सभी प्रयास व्यर्थ है कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति जिसने आत्महत्या का प्रयास किया है, वह पहले से ही शारीरिक या मानसिक रूप से पर्याप्त पीड़ा में है, उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे बंद करने से उसकी मानसिक या शारीरिक पीड़ा का स्तर (लेवल) बढ़ जाएगा। जिस चीज की जरूरत है वह चिकित्सीय ध्यान या उपचार है।

इसलिए कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 को इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया कि यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करती है और कहा कि अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार भी शामिल है।

3. आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट ने एक अलग दृष्टिकोण (व्यू) दिया और **चेन्ना जगदेष्वर बनाम आंध्रप्रदेश** के मामले में आई. पी.सी. की धारा 309 की संवैधानिकता को बरकरार रखा था।

इसी मामले में यह भी कहा गया था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नही है और धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन नही है।

4. पी. रथिनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की बेंच ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बीच संबंध और विरोधाभास का कॉग्निजेंस लिया था।

कोर्ट ने दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट्स के दृष्टिकोण का समर्थन किया था और आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया था, जिसमें का गया था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 इस आधार पर असंवैधानिक है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने इसके पीछे मकसद आरोपी की दोहरी पीड़ा के नियम को रोकना था। एक व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता है वह पहले से ही पीड़ा और दर्द से पीड़ित है और उसे दंडित करने से अपमान के कारण होनी वाली पीड़ा में वृद्धि होगी, जो व्यक्ति सबसे अधिक पीड़ित है वह स्वयं आरोपी है क्योंकि वह स्वयं के अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में स्टेट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

यदि कोर्ट छात्र एकेडमिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन असफल हो जाता है, तो उस बच्चे को परामर्श या नरम शब्दों से कुछ मदद की जरूरत होती है और अभियोजक द्वारा उसके साथ बेरहमी से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उसके लिए दंडित भी नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने अंत में याचिकाकर्ता की इस दलील का बरकरार रखा कि 'जीवन के अधिकार' में 'मजबूर जीवन नहीं जीने का अधिकार' शामिल है।

5. सुप्रीम कोर्ट की पाँच–न्यायाधीशों की बेंच ने **श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब स्टेट के मामले में पी.रथिनम** के फैसलें को खारिज कर दिया था। इस मामले में जो सवाल उठाया गया वह यह था कि पी. रथिनम के फैसलें के अनुसार यदि धारा 309 (आत्महत्या करने का प्रयास) असंवैधानिक है तो इसे ध्यान में रखते हुए धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) भी असंवैधानिक होना चाहिए और अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 7 अप्रैल 2017 को दी गई थी। आत्महत्या के प्रयास के संबंध में एक्ट की सबसे रिलेबेंट धारा 115 है। यह प्रदान करती है कि–

1. कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है उसे गंभीर तनाव में माना जाएगा और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 या किसी अन्य धारा के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

2. उपयुक्त सरकार का यह कर्तव्य है कि वह गंभीर तनाव के कारण आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को देखभाल, पर्याप्त उपचार और पुर्नवास प्रदान करें। इसका उद्देश्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करना है।

यह एक्ट भारत में मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक बढ़ा कदम है। एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है उसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में शारीरिक रूप से बीमार के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसी बीमारी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जीवन के अधिकार का अर्थ है सार्थक (मीनिंगफुल) और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार यानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।

कारण:

इस बड़े कदम के पीछे मुख्य कारण इस तथ्य का अहसास था कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है वह पहले से ही गहरे दर्द, निराशा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से पीड़ित है, उस व्यक्ति को दंडित करने से दर्द और मानसिक यातना में वृद्धि होती है।

कोर्ट का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए समाधान जो अपने जीवन को समाप्त करने के कठोर प्रयास में विफल रहा है, को मुकदमे और सजा के कठिन दौर में डालने के बजाय पुनर्वास सुविधाऐं प्रदान करना है।

इस कदम ने पीड़ितों को कानूनी झंझटों में फसने के बजाय जीवन जीने का दूसरा मौका लेने में मदद की है। एक पीड़ित के उत्पीड़न को रोकने के लिए जो पहले से ही भावनात्मक और मानसिक रूप से पीड़ित है। यह एक सामान्य मानसिकता और एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो वह मानसिक रूप से बीमार होता है और अपने जीवन से सभी आशाओं और अपेक्षाओं को खो देता है।

दूसरे देष की स्थिति:

दुनिया के लगभग सभी देशों ने जैसे अमेरिका, इंग्लैण्ड, यूरोपीयन देशों, कुछ दक्षिण अमेरिकन देशों आदि ने आत्महत्या करने के प्रयास के अपराध को अपराध मुक्त कर दिया है। 1975 में, जर्मनी पूरी दुनिया में आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करने वाला पहला देश था। कनाड़ा, श्रीलंका और आयरलैंण्ड ने भी आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है।

नीदरलैण्ड में, कोई व्यक्ति आत्महत्या के दौरान नैतिक समर्थन प्रदान कर सकता है। आत्महत्या करने के लिए तैयारी, साधन की आपूर्ति या निर्देश में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हें एक अपराध माना जाता है।

अभी भी पाकिस्तान, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे कुछ देश हैं जहाँ आत्महत्या करने का प्रयास एक अपराध है और इसके लिए किसी को भी दंडित किया जा सकता है। पाकिस्तान दण्ड संहिता की धारा 325, दण्ड संहिता (मलेशिया) की धारा 309 और दण्ड संहिता (बांग्लादेश) की धारा 309 के अनुसार 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

आज की स्थिति:

भारत में अभी भी उचित कार्यान्वयन की कमी महसूस की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 को अपराध से मुक्त करते समय जो तर्क दिया गया था, वह यह था कि इस कदम से आत्महत्या के मामलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

मामलों की रिपोर्टिंग अभी भी एक आवश्यकता है क्योंकि यह सरकार और संबंधित अधिकारियों को उन लोगों की संख्या पर नजर रखने में मदद करती है जिन्हें पुनर्वास सुविधाऐं प्रदान करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें मरीज की जाँच के बाद डॉक्टर को संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना होता है।

कई वरिष्ठ (सीनियर) वकीलों, ट्रॉमा शोधकर्ताओं मनोचिकित्सकों का मानना है कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करने से मामलों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने सामने सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है, अर्थात यदि एक व्यक्ति जीवन में विश्वास खो दिया है और एक बार में सभी के लिए पीड़ा को समाप्त कर दिया है। तो कार्य का परिणाम चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसके निर्णय पर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

एक सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन आसरा के निर्देशक ने कहा कि भले ही बिल पास हो गया हो, फिर भी इसे देश के हर क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है। देश के सभी हिस्सों के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की प्रवृत्ति से निपटने के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है। केवल बिल का गठन या पास होना पर्याप्त नही है, इसका उचित कार्यान्वयन कलंक को तोड़ने और अंतरजीवियों (सर्वाइवर) को जीवन में विश्वास हासिल करने में मदद करने की कुंजी है।

निष्कर्ष:

भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा टेबू है, लोग डरते हैं और इसके बारें में बात करने से हिचकिचाते हैं, मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017, के कार्यान्वयन को विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है, जो टैबू को तोड़ने में मदद कर सकता है। आत्महत्या का अध्ययन करने में विधि का प्रयोग करते हुए आत्महत्या के आँकड़े एकत्रित कर पाया कि आत्महत्या का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत, शारीरिक एवं मानसिक न होकर सामाजिक है। इन आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत हैः–

1. आत्महत्या की दर प्रति वर्ष लगभग एक समान होती है।
2. सर्दियों की तुलना में ग्रीष्म में आत्महत्या की दर अधिक होती है।
3. स्त्रियों की तुलना में पुरूषों में आत्महत्या की दर अधिक होती है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में आत्महत्या की दर अधिक होती है।
5. कम आयु वालों की तुलना में अधिक आयु वालों में आत्महत्या की दर अधिक होती है।
6. सामान्य नागरिकों की तुलना में सैनिकों के द्वारा अधिक आत्महत्या की जाती है।
7. अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा आत्महत्या की जाती है।
8. अविवाहित व्यक्तियों की तुलना में विवाहित, विधुर, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा व्यक्तियों के द्वारा आत्महत्या की जाती है।
9. विवाहित व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति जो निसंतान होते है या जिनकी संतान पैदा होने के बाद जीवित नहीं रहती है उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है।

संदर्भः–

1. भारतीय दण्ड संहिता 1860
2. लॉ फाइटर पब्लिकेशन ए.एन.सिंह पे. 140
3. hindi.ipleaders.in
4. V. translate.google
5. aryshiksha.com